

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215296
CG-DL-E-10012020-215296

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 2, 2020/पौष 12, 1941

No. 55]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 2, 2020/ PAUSHA 12, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019

का.आ. 55(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2604 तारीख 07 अगस्त, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में NH730 (पीलीभीत-पुरनपुर-गोला-बहराइच-बलरामपुर-महाराजगंज-पड़रौना मार्ग) के कि.मी. 505+000 से कि.मी.538+000किमी तक निर्माणाधीन टू-लेन विद पेडडशोल्टर का निर्माण (चौडीकरण टोल प्लाजा का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (ii) के अधीन तारीख 21.08.2019 को दैनिक जागरण और टाइम नेशन दोनों में प्रकाशित किया गया था.,

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में राज्यमार्ग संख्या -730 के कि.मी. 505+000 से 538+000 किमी तक (पीलीभीत-पुरनपुर-गोला-बहराइच-बलरामपुर-महाराजगंज-पड़रौना मार्ग) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: महाराजगंज			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सदर महाराजगंज				
	गांव का नाम: सेमरा राजा				
1	449	निजी	कृषि	0.018	कन्हैया लाल s/o भवानी प्रसाद ()
2	450	निजी	कृषि	0.0249	कौशल कुमारी d/o मोलई , अनिरुद्ध s/o रामठारे , दमयंती w/o रामठारे , धरुनारायण , राधारमण , अवैद्यनाथ , राजेंद्र ss/o बृजनारायण ()
3	451	निजी	कृषि	0.026	केदार s/o रामलोचन , सुगन , रामनारायण ss/o जंगली , मनोज , मनोज ss/o पालतू , बलकेशी w/o

					पालतू , हिरा s/o सज्जन , रामपति w/o झुन्नू , झिन्नू s/o सुखराज ()
4	451	निजी	कृषि	0.0068	केदार s/o रामलोचन , सुगन , रामनारायण s/o जंगली , मनोज , सनोज s/o पालतू , बलकेशी w/o पालतू , हिरा s/o सज्जन , रामपति w/o झुन्नू , झिन्नू s/o सुखराज ()
5	452	सरकारी	नाली	0.0015	नाली ()
6	455	निजी	कृषि	0.0346	गोरख s/o तिलेश , smt. झींका w/o तिलेश , रामसमुझ s/o गणेश ()
7	456	निजी	कृषि	0.0349	जगदीश s/o खदेरू , चंपा देवी w/o रामाज्ञा , चन्द्रिका s/o बृजनादाँ ()
8	518	सरकारी	सरकार	0.0353	नाहा नारायण / Gov. prap. ()
9	522	निजी	कृषि	0.039	बदली s/o सरजू ()
10	523	निजी	कृषि	0.0758	चुन्नी , नरसिंह s/o नगेसर , रामदुरारे s/o , सहित , कैलाशी w/o रामकेवल , रीना देवी w/o संजय , रामाशीष सिंह , रामचंदर सिंह s/o लल्ली देवजानी w/o लल्ली ,रितेश , वीपीएन सिंह s/o रुदल , बच्चू देवी w/o रुदल ()
			कुल	0.2968	

[फा. सं. NH/730/19/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2019

S.O. 55(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport & Highways number 2604 dated 07 August, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two laning with paved Shoulders/ construction of toll plaza etc), under Rehabilitation and up-gradation, Maintenance, management and operation of the National Highway NH730 on the stretch of land from Km 505.000 to Km 538.000 in the state of UTTAR PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Danik Jagaran” and “Times Nation” both dated 21-08-2019 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land of construction of toll plaza, from km.515.000 to 515.500, of National Highway NH730 (pilibhit-Puranpur-Gola-Bahraich-Balarampur-Maharajganj-Padrowna road), From km 505.000 to 538.000 in the state of UTTAR PRADESH.

State: UTTAR PRADESH			District: MAHARAJGANJ		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Sadar Maharajganj				
	Village: Semra Raja				
1	449	Private	AGRICULTURE	0.018	Kanhaiya lal s/o Bhawani prasad
2	450	Private	AGRICULTURE	0.0249	kaushal kumari d/o molayee, anirudh s/o ramathare, damayanti w/o ramathare, dharunarayan, radharaman, avaidhanath, rajendra ss/o brijnarayan

3	451	Private	AGRICULTURE	0.026	kedar s/o ramlochan , suggan , ramnarayan ss/o jangali , manoj ,sanoj ss/o paltu , balkeshi w/o paltu , hira s/o sajjan , rampati w/o jhunnu , jhinnu s/o sukharaj
4	451	Private	AGRICULTURE	0.0068	kedar s/o ramlochan , suggan , ramnarayan ss/o jangali , manoj ,sanoj ss/o paltu , balkeshi w/o paltu , hira s/o sajjan , rampati w/o jhunnu , jhinnu s/o sukharaj
5	452	Government	DRAIN	0.0015	Nali
6	455	Private	AGRICULTURE	0.0346	Gorakh s/o tilesar , smt. jhinka w/o Tilesar , Ramasamujh s/o Ganesh
7	456	Private	AGRICULTURE	0.0349	jagdish s/o khaderu , champa devi w/o ramagya , chandrika s/o brijanadan
8	518	Government	GOVERNMENT	0.0353	naha Narayan / Gov. prap.
9	522	Private	AGRICULTURE	0.039	baduli s/o saraju
10	523	Private	AGRICULTURE	0.0758	chunni , narsingh s/o nagesr , ramdurare s/o , shita , kailashi w/o ramkeval , reena devi w/o sanjay , ramashish singh , ramchandar singh s/o lalli devjani w/o lalli ,ritesh , vipian singh s/o Rudal , Bachchi devi w/o Rudal
			TOTAL	0.2968	

[F. No. NH/730/19/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.